न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 74 / 2024	2024 / 165	12.07.2024	27.08.2024

1. गीता पुत्री रामजति जाट पत्नी चतरसिंह जाट निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामजति पुत्र रामहेत जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री रज्जन सिंह —वकील प्रार्थी
02—श्री धारासिंह —वकील अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण बउनवान गीता बनाम रामजति को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 09.07.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मौजूदा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.07.2024 की नियत है। प्रार्थीनी अप्रार्थी की पुत्री है जो शादीशुदा है एवं अप्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रेशम देवी को भी अपने साथ नहीं रखा गया है जो अपने भतीजे विशम्भर दयाल के साथ ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर में रिहायश रखती चली आ रही है। वादिनी ने एक दावा धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दायर किया था जिस पर मा0 न्याया0 द्वारा स्थगन आदेश इस आशय का पारित किया कि उपरोक्त विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे, जो स्थगन आदेश आज दिन तक भी बदस्तूर जारी है। जिस आदेश से अप्रार्थी पूरी तरह से पाबंद है। लेकिन चूंकि अप्रार्थी उपरोक्त आराजी की बाबत बुरी नियत रखता है और येन केन प्रकारेण उक्त विवादित आराजी को बेचान करना चाहता है जिस वजह से आये दिन उक्त आराजी को नये नये लोगों को दिखाता है एवं प्रोपर्टी डीलरों को लाता है। अगर अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी को बेचान कर दिया गया तो अप्रार्थी की धर्मपत्नी श्रीमती रेशम देवी व पुत्री गीता देवी दोनों ही बेघर हो जायेंगी और उनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी, लेकिन अप्रार्थी बार बार प्रार्थीया को इस बात की धमकी देता है कि मैंने मा0 न्या0 उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से साजबाज कर ली है और मैं हर सूरत में उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से अपने पक्ष में आदेश करा लूंगा और तुम्हारा स्थगन आदेश तुडवा दूंगा और उसके पश्चात विवादित उक्त आराजी का बेचान कर दूंगा। चूंकि मा0 न्या0 उपखण्ड अधिकारी मौजूदा प्रकरण में हर सात दिवस की तारीख पेशी देते चले आ रहे हैं, जबकि और अन्य सभी केसों में एक—डेढ माह की तारीख पेशी लगती है लेकिन प्रार्थीया के मुकदमें में अप्रार्थी के साजबाज होने से छोटी तारीख लगाई जा रही है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मा0 अदालत अप्रार्थी के पक्ष में है और प्रार्थीया के विपक्ष में है। इसलिए मा0 न्या0 से करबद्ध प्रार्थना है कि मौजूदा प्रकरण गीता बनाम रामजति न्या0 उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को अलवर जिले की किसी भी न्या0 उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रकरण का

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

स्थानान्तरण किया जाना न्याय संगत व न्यायोचित है। जिसके लिए मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजूदा प्रकरण गीता बनाम रामजति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा आ0ता0पेशी 09.07.2024 को अलवर जिले के किसी भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रकरण को हस्तांतरित किये जाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रा0पत्र का पैरा नं0 1 तारीख पेशी बाबत है। पैरा नं 2 में इतना स्वीकार है कि प्रार्थीया गीता अप्रार्थी की पुत्री है तथा अप्रार्थी की पत्नी रेशम देवी का उक्त प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी के खिलाफ गलत तथ्यों पर अधीनस्थ न्या0 में दावा दायर किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है तथा जो प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्या0 में स्थगन लिया वह अप्रार्थी को बिना सुने दिया था तथा न्या0 को गुमराह करके अप्रार्थी को बिना सुने स्थगन लिया हुआ है। जिस पर प्रार्थीया द्वारा दि0 14.06.2022 से पेशीया ली जा रही हैं तथा इस पैरा में प्रार्थीया द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है। क्योंकि प्रा0पत्र स्थगन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं जा रही है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में मूल दावा में आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का प्रा0पत्र दि0 14.06.2022 को पेश किया गया तथा जिसके जवाब में 13 पेशियां ली गईं तथा दि0 26.09.2023 को जवाब पेश किया गया। उक्त प्रा0पत्र में 12 पेशियां बहस के लिए ली गई और उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की ओर से दि0 06.02.2024 को बहस सुनी गई तथा आदेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी 13.02.2024 नियत की गई। उसके बाद न्यायालय श्रीमान में मुन्तकिल प्रा0पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया गया जो प्रा0पत्र न्यायालय श्रीमान द्वारा दि0 20.05.2024 को खारिज फरमा दिया गया जो तथ्य प्रार्थीया द्वारा इस प्रार्थना पत्र में छुपाया गया है। उसके बाद भी प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पेशी 28.05.2024, 25.06.2024, 09.07.2024, 16.07.2024 ली गई है, लेकिन प्रार्थीया उक्त प्रकरण में बहस नहीं करना चाहती है तथा प्रार्थीया द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र दूसरा प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है, जिसे खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं। अन्य मुकदमों में लम्बी पेशी दी जा रही है ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीया द्वारा पेश नहीं किया है तथा ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करने का कोई उचित कारण नहीं है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में यह दूसरा मुंतकिल प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ पेश किया है। इसलिए यह प्रा0पत्र पोषणीय नहीं है तथा यह तथ्य प्रार्थीया व उसके वकील द्वारा मौजूदा प्रा0पत्र में छुपाया गया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के मूल दावा में अप्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पर पुनः बहस होनी है जिस पर भी प्रार्थी के वकील ने 4 मौके ले चुके हैं जो तथ्य भी प्रार्थीया द्वारा छुपाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र मय कोष्ठ खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त प्रकरण में यह दूसरा मुंतकिल प्रार्थना पेश किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरण में दिनांक 20.05.2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए पुनः समान प्रकृति के प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान